न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 2020/00108

1. मदनलाल पुत्र श्री निम्बाराम जाति जाट निवासी डाबरा तहसील बावड़ी जिला जोधपुर हाल चक 27 बीडी 'ए' तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.

.....

वादी

बनाम

1. जेठी देवी पत्नि श्री ईशरराम जाति जाट निवासी डाबरा तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।
2. खमा देवी पत्नि श्री धन्नाराम जाति जाट निवासी शेखड़ा तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 एंव 188 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

वाद का विवरण इस प्रकार है कि विवादित आराजी चक 6 एसजेएम (बी) के मुरब्बा नंबर 39/64 के किला नंबर 1 से 25 की 20.05 बीघा भूमि वादी मदनलाल और प्रतिवादी संख्या 1 जेठी देवी की खातेदारी में बहिस्सा बराबर दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या दो खमा देवी के पक्ष में कर दिया गया है। इससे व्यथित होकर वादी द्वारा वाद अंतर्गत धारा 53 और 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है।

वादी का कहना है कि संयुक्त खातेदारी की भूमि में खाता विभाजन करवाए बिना कोई अजनबी खरीददार किन्ही विशिष्ट किला संख्या पर कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता है। 11 फरवरी 2021 को वादी और प्रतिवादी संख्या 2 की तरफ से सहमति बटवारा नामा प्रस्तुत किया गया जिसके तहत दोनों ने निम्न प्रकार से विभाजन किए जाने पर सहमति जताई है।

मदनलाल का हिस्सा

मुरब्बा नंबर 39/64 के किला नंबर 1/2 में .2150 किला नंबर 2, 3, 8 , 9 प्रत्येक में 0.2529 हेक्टेयर, किला नंबर 10/2 ,11/2 प्रत्येक में में 0.2150 हेक्टेयर, किला नंबर 12, 13, 19 प्रत्येक में .0.2529 हेक्टेयर, किला नंबर 20/1 में 0.2150 हेक्टेयर, किला नंबर 21/2 में 0.1897 (उत्तर दिशा की तरफ), किला नंबर 22 में 0.2276 हेक्टेयर (उत्तर दिशा की तरफ), इस प्रकार कुल 13 किला में 3.0476 हेक्टेयर रकबा।

खमा देवी का हिस्सा

किला नंबर 4 से 7 प्रत्येक में 0.2529 हेक्टेयर, किला नंबर 14 से 18 प्रत्येक में 0.2529 हेक्टेयर, किला नंबर 21/2,22 प्रत्येक में 0.0253 हेक्टेयर (दक्षिण दिशा की तरफ) किला नंबर 23 से 25 प्रत्येक में 0.2529 हेक्टेयर, इस प्रकार कुल 14 किलो में 3.0854 हेक्टेयर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 16:46:37 IST
Reason: SelfAttested

क्योंकि दोनों पक्ष सहमति से खाता विभाजन करवाना चाहते हैं इसलिए न्यायालय का मानना है कि इस सहमति के आधार पर खाता विभाजन स्वीकार किया जाना जायज है।

लेकिन इसमें एक बिंदु है उक्त विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा जो कि खमा देवी द्वारा जेठी देवी से खरीदा गया है, वह वर्तमान में जेठी देवी के नाम से ही दर्ज है। इसलिए इस खाता विभाजन को एग्जीक्यूट करने से पहले उस विक्रय पत्र का इंतकाल होना जरूरी है जिसके द्वारा खमा देवी ने यह जमीन विक्रय की है।

उस विक्रय पत्र का इंतकाल इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि प्रार्थना पत्र संख्या 109/20 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त विवादित आराजी पर स्थगन आदेश जारी किया गया था। आज दोनों पक्षों में समझौता हो गया है इसलिए उस स्थगन आदेश को खारिज किया जाता है।

इसलिए इस मामले में तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि वह विक्रय पत्र दिनांक 13/10/20, जिसके द्वारा जेठी देवी द्वारा विवादित आराजी में से अपना हिस्सा खमा देवी को बेचान किया गया था, के इंतकाल पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। जब उक्त जमीन विधिक रुप से खमा देवी के नाम दर्ज हो जाएगी तब ऊपर लिखित सहमति के आधार पर मदनलाल और खमा देवी के मध्य जमीन का विभाजन करें। निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 16:46:37 IST
Reason: SelfAttested